सं. 19046/2/2008-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

22 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः सरकारी ड्यूटी/दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण आदि पर प्रीमियम रेलगाड़ियों से यात्रा के संबंध में स्पष्टीकरण।

इस विभाग में कुछ पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सरकारी ड्यूटी/दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण आदि के दौरान भारतीय रेल द्वारा संचालित "प्रीमियम रेलगाड़ियों" से यात्रा की पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

2. स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी ड्यूटी/दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण आदि पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को प्रीमियम रेलगाड़ियों से यात्रा की अनुमति नहीं है और इसलिए प्रीमियम रेलगाड़ियों से की गई यात्रा के लिए भारतीय रेल द्वारा प्रीमियम रेलगाड़ियों के लिए वसूले गए भाड़े की प्रतिपूर्ति नहीं की जा सकेगी। ऐसे मामलों में जहां सरकारी ड्यूटी/दौरे/प्रशिक्षण/स्थानांतरण आदि के दौरान प्रीमियम रेलगाड़ियों से पहले ही यात्रा की जा चुकी है, प्रतिपूर्ति की राशि, रेल यात्रा की पात्र श्रेणी के लिए स्वीकार्य सामान्य भाड़े अथवा अदा किए गए वास्तविक भाड़े, इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित की जाएगी।

(ए. भट्टाचार्य)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग एवं अन्य सरकारी कार्यालय (मानक डाक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपिः एनआईसी को इस का.ज्ञा. को वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।